



फोन / फैक्स नं० 05948-222103

ई-मेल - edhaldwani@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं
निर्माण निगम, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।

पत्रांक: 2065

/ टी०एन० / 51

दिनांक : 12-8-16

अल्पकालीन निविदा सूचना

अध्यक्ष उत्तराखण्ड पेयजल निगम के ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें दिनांक 26.08.2016 को निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी में अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 27.08.2016 को 12:00 बजे अपराह्न उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी के कार्यालय में गठित निविदा समिति के द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेंगी।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी	धरोहर धनराशि (रु०)	निविदा विक्रय की अन्तिम तिथि	निविदा आमन्त्रण की तिथि	निविदा खुलने की तिथि	कार्य पूर्ण की अवधि	निविदा का मूल्य (रु०)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	हारिंघर दलीप सिंह (ब्यूरा) सी०डब्ल्यू०आर० पे०यो० के अन्तर्गत 50 के०एल० के आर०सी०सी० ग्राउण्ड टैंक का निर्माण एवं तत्सम्बन्धित कार्य।	'डी'श्रेणी अथवा उच्च श्रेणी (पाइप लाईन कार्य)।	14000.00	25.08.16	26.08.16	27.08.16	3 माह	500.00 +13.5% वैट

- : जल संचय जीवन संचय :-

नोट:- नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10 बजे से सायः 5 बजे तक कार्यालय या नोटिस बोर्ड में देखी जा सकती हैं।

ASH-8.1
me
23/8

(एस०सी० पन्त)
अधिशासी अभियन्ता

प्रकाशन के लिये नहीं।

नियम एवं शर्तें:-

- निविदा विक्रय/प्राप्त करने/खोलने की तिथि को यदि अवकाश रहता है तो निविदा का विक्रय/प्राप्त करने की तिथि/खोलने की तिथि अवकाश के अगले कार्य दिवस को होगी। निविदा विक्रय की तिथि अवकाश के कारण बढ़ने पर निविदा प्राप्त करने एवं खोलने की तिथि स्वतः इसके अगले दिन हो जायेगी।
- निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगाने पर रु० 100.00 अतिरिक्त डाक व्यय देना होगा। पंजीकृत डाक से निर्धारित समय के अंतर्गत प्राप्त निविदायें ही विचारणीय होंगी। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा क्रय करते समय ठेकेदार को अपने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। बिना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के निविदा निर्गत नहीं की जायेगी।
- निविदाएं सीलबन्ध लिफाफे में डाली जाय तथा लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम/ठेकेदार का नाम निविदा खुलने की तिथि इत्यादि आवश्यक विवरण अंकित किया जाए।

महाप्रबन्धक (उ.स.अ.स.)

मुख्य अभि. (सु.)


22/8/16
2016/16

4. बगैर अरनैस्ट मनी के प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। अरनैस्ट मनी पोस्ट ऑफिस की किसी अल्प बचत स्कीम के अंतर्गत अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक प्रतिभूति के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बन्धक कर प्रस्तुत की जायेगी।
5. निविदा प्रपत्र क्रय करते समय वांछित अरनैस्ट मनी हेतु बनायी गयी एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो अधोहस्ताक्षरी के नाम बन्धक हो, वकी छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी तत्पश्चात् ही निविदा प्रपत्र निर्गत की जायेगी।
6. अधोहस्ताक्षरी एवं निविदा कमेटी को एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार है।
7. अन्य नियम एवं शर्तें कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र में इंगित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होंगी।
8. निविदा प्रपत्र के साथ दरों की वैधता हेतु रू0 100.00 का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर मय रू0 1.00 के रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर करते हुये संलग्न करना अनिवार्य है।
9. ठेकेदार को रू0 10.00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उनका कोई निकट सम्बन्धी शाखा/मण्डल/क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत नहीं है।
10. निविदा में मॉगी गई दरें शिड्यूल "जी" में मान्य होंगी।
11. निविदा में मॉगी गई दरें आइटम वाइज होंगी एवं प्रतिशत में इंगित दरें मान्य नहीं होंगी।
12. कार्य का भुगतान धन की उपलब्धता के अनुसार कराये जायेंगे।
13. शासनादेश संख्या 6447/111(2)/11-20 (सा0)/2011 दिनांक 02.01.2013 के अनुरूप नियमानुसार Performance Security जमा करनी अनिवार्य होगी एवं इस आदेश के तहत विभागीय दरों से यदि 5 प्रतिशत से कम दरें डाली जायेंगी तो Additional Performance Security भी जमा करनी होगी।
14. शासन/निगम द्वारा निर्मित अन्य आदेशों का क्रियान्वयन बाध्यकारी होगा।
15. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(गु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 11 मोहिनी रोड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता(कु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नैनीताल।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नैनीताल।
4. विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता।
6. मण्डलीय लेखाकार/संगणक।
7. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।


अधिसासी अभियन्ता